

Date: August 24, 2026

1. **The Manager- Listing**
National Stock Exchange of India Limited
(Scrip Symbol: NAUKRI)
2. **The Manager-Listing**
BSE Limited
(Scrip Code: 532777)

Dear Sir/Madam,

Subject: Intimation of publication of notice of hearing of the petition

With reference to our earlier disclosures dated August 09, 2024, February 05, 2025, February 25, 2025, April 08, 2026, May 19, 2026 and July 28, 2026, please find the enclosed copies of the newspaper advertisements published on August 24, 2026, pursuant to directions of Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench ("NCLT"), vide order dated August 18, 2026.

The newspaper advertisements relate to the notice of hearing of the Company Scheme Petition scheduled to be heard by the Hon'ble NCLT on October 13, 2026, in connection with the Scheme of Amalgamation amongst Allcheckdeals India Private Limited ("Transferor Company 1"), Axilly Labs Private Limited ("Transferor Company 2"), Diphda Internet Services Limited ("Transferor Company 3"), and Zwayam Digital Private Limited ("Transferor Company 4") with Info Edge (India) Limited ("Transferee Company" or the "Company"), and their respective shareholders and creditors, under Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016.

The advertisements were published in the following newspapers:

- Business Standard in English (Delhi edition) and;
- Business Standard in Hindi (Delhi edition)

This intimation is also being uploaded on Company's website and can be accessed at www.infoedge.in

Kindly take the same on record.

Thanking You.

Yours faithfully,
For **Info Edge (India) Limited**

Jaya Bhatia
Company Secretary & Compliance officer

Encl.: As above

ANANDRATHI GLOBAL FINANCE	आनन्द राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड एक्स्प्रेस जेन, ए विंग, भीम बिल्डिंग चेरटन एक्स्प्रेस हाइवे, मोगेवली (ए) ड्यूबई 400063 भारत	
विशाल सक्सेना	सचिव स.े. APPL00027070	
जेता कि, आनन्द राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा 2 के तहत कर्जदारों (विवरण विशेष रूप से नीचे दी गई तालिका में उल्लेख किया गया है, इसके बाद कर्जदार संदर्भित) को मांग सूचना की प्राप्ति को तिथि से 60 दिनों के भीतर मांग सूचना में उल्लिखित राशि और ब्याज को सांदात्मक दर पर भावी ब्याज के साथ लागत और शुल्क एवं मांग सूचना की तिथि से भुगतान और/या एग्राउण्टिएफएल द्वारा वसूली की तिथि तक देय अन्य राशि (यदि कोई हो) का भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना (विवरण नीचे तालिका में विशेष रूप से उल्लेखित है, इसके बाद मांग सूचना) जारी की है (इसके बाद देय राशि)।	कच्चा सूचना	
कर्जदार और सह-कर्जदार देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, अतः एतद्वारा नीचे उल्लिखित कर्जदार को विशेष रूप से और आम जनता को सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि अयोधस्ताश्वरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्तियों/प्रतिभूत सांकेतिकों (जैसा कि मांग सूचना के तहत प्रतिभाषित किया गया है) का नीचे विशेष रूप से उल्लिखित तिथि पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार और सह-कर्जदार (से) तथा आम जनता को एतद्वारा अग्राह किया जाता है कि वे संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के साथ सीधा न करें और संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के साथ कोई भी लेनदेन एग्राउण्टिएफएल द्वारा भुगतान और/या वसूली की तिथि तक देय लागत और शुल्क और अन्य देय राशि (यदि कोई हो) सहित बकाया राशि (विशेष रूप से यहां नीचे उल्लिखित) के साथ-साथ अपने के भावी ब्याज को सांदात्मक दर पर ब्याज के साथ आनन्द राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। प्रतिभूत संपत्तियों को निष्पक्षित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के संबंध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्राधान्यों और आर्बफिट किया जाता है।		
कर्जदार का नाम और पता: विशाल सक्सेना ए117, सेक्टर-9, न्यू बिजय नगर, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश-201009		
सह-कर्जदार का नाम और पता: 1) प्रीति सक्सेना (सह-कर्जदार) 1/1003/80, शाहदरा मेट्रो स्टेशन के पास, मेक्की संपदा, शाहदरा, नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली-110032 2) सक्सेना एड एस एसोसिएट्स (सह-कर्जदार) पानी को टंकी के पास ए-117, सेक्टर-9, न्यू बिजय नगर, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 और साथ ही ए 117, सेक्टर-9, न्यू बिजय नगर, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश-201009	चरित्रकारी विधि आर जीआई कुल बकाया सीमांत वित्तीय राशि केवल वित्तीय ब्याज अधिकृत बकाय वित्तीय प्रभार नियंत्रित बकाय ईएमएआई कर्तव्य प्रभार कुल बकाया	11-06-2026 12,796 93,382.73 4,21,592 2,939 15,473 1,100 6,000 97,77,377
मांग सूचना के अनुसार देय राशि, लागू ब्याज सहित रु. 87,77,377/- (रुपये सत्तासी लाख सत्तरह हजार तीन सौ सत्तरह मात्र)		
मांग सूचना की तिथि : 15/06/2026		
ऋण अनुबंध सं. : APPL00027070		
कच्चे की तिथि : 22 अगस्त, 2026		
सम्पत्ति का पता: सम्पत्ति नंबर ए- 117 (साइज 93.14 वर्ग मीटर) का चंथक, जो सेक्टर 9, विजय नगर कॉलोनी, परगना लोनी, महलील और जिला गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश-201009 में स्थित है।		
तिथि: 23 अगस्त, 2026	H.ए., आनन्द राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड प्राधिकृत अधिकारी	

 फ्राइव फ्यूचर हैबिटेट लिमिटेड (पूर्व की एडोर मल्टीप्रॉपर्टीइन्व्स्टमेंट लिमिटेड) सीआईएन: L85110DL1948PLC465696 वेबसाइट : www.thrivefuturehabitats.com	
सार्वजनिक सूचना: वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाने वाली 78वीं वार्षिक आम बैठक	
एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 78वें एजीएम की सूचना ('सूचना') में निर्धारित व्यवसाय के लेन-देन के लिए कंपनी की 78वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 16 सितंबर, 2026 को दोपहर 12:00 बजे (भा.मा.उ.) वीसीओ कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विडियोअंतर संचार (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्राधान्यों और उसके तहत निर्मित नियमों और एमसीए द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अगस्त, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अगस्त, 2020, और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्र, नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 के साथ पठित सेवा ('सूचीबद्धता दफिन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं') विनियम, 2015 ('सेबी सूचीबद्धता विनियम') (सांख्यिक रूप से 'पारसीपर परिपत्र' के रूप में संदर्भित) सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021, 13 मई, 2022 और नवीनतम सेबी परिपत्र से: SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 ('सेबी परिपत्र') के अनुपालन में, कंपनी ने शुक्रवार, 22 अगस्त, 2026 को इलेक्ट्रॉनिक मीड के माध्यम से वित्त वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ नोटिस केवल उन सदस्यों को ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, एक पत्र भेजा जा रहा है, जिसमें वेब-लिंक और व्बुआर कोड प्रदान किया जा रहा है, जिसमें वह सदस्य को वार्षिक माप भी शामिल है, जहां वित्त वर्ष 2025-26 के वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण 78वीं एजीएम की सूचना के साथ उपलब्ध है। 78वीं एजीएम की सूचना और वित्त वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://thrivefuturehabitats.com/investors-services/annual-report/ पर निवेशक टैब के तहत, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर डाउनलोड के लिए भी उपलब्ध है। 78वीं एजीएम की सूचना एमएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। यदि कोई सदस्य वित्त वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति और कंपनी की 78वीं एजीएम की सूचना प्राप्त करने का इच्छुक है, तो वह अपने फोनियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए hello@thrivefuturehabitats.com पर कंपनी को अनुरोध भेज सकता है। 78वीं एजीएम के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा इसके अलावा, वधार्सशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम को धारा 108, और सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी बुधवार, 9 सितंबर, 2026 को ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने के हकदार सदस्यों के मतदान अधिकार निर्धारित करने के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि है, तक शेयर धारण करने वाले अपने सदस्यों को 78वीं एजीएम आयोजित करने वाली उर्ध्वकू नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसाय की मदीं पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से) द्वारा मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने नेशनल स्कैम्बोर्जिटीज डिजिटिजटी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ एक समझौता किया है ताकि एजीएम में भाग लेने के लिए वीसीओएवीएम सुविधा के माध्यम से और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म www.evoting.nsdl.com के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की जा सके। एजीएम से पहले और एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम बुलनें वाली सूचना के नोटस अनुभाग में दिए गए हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें: i) रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:	
रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत	रिमवार, 13 सितंबर, 2026 (सुबह 9:00 बजे भा.मा.स.)
रिमोट ई-वोटिंग का समापन	मंगलवार, 15 सितंबर, 2026 (शाम 5:00 बजे भा.मा.स.)

इसके बाद एमएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मांडवुल को मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा और सदस्यों को उक्त तिथि और समय के बाद एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।	
ii) सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 9 सितंबर, 2026 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर रजि्री के उनके शेयरों के अनुपात में होगी। सदस्यों को एजीएम में वीसीओएवीएम कार्यावली के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा प्रस्ताव पर अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग से संबंधित घोषणा पर ऐसे प्रस्तावों पर मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के पात्र होंगे।	
जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा प्रस्ताव पर अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एग्रेसर में भाग लेने के पात्र होंगे, लेकिन वे फिर से ऐसे प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।	
(iii) कोई भी शेयरधारक जो भौतिक रूप में शेयर रखता है या गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक जो कंपनी के इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक इक्विटी शेयर रखता है, rita@bfs.co.in पर अनुरोध भेजकर वूटर आईडी और पारसई प्राप्त कर सकता है।	
iv) व्यक्तिगत सूचना के मामले में जो कंपनी के इक्विटी शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक डीमेट मोड में इक्विटी शेयर धारण करता है, नोटिस में दिए गए अनुसार ई-वोटिंग के लिए निर्दिष्ट और वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश के तहत उल्लिखित प्रणाली का पालन कर सकता है।	
v) कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे केवल सूचना के उद्देश्य के लिए नोटिस का उपयोग करना चाहिए। कोई व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या केवल कट-ऑफ तिथि तक डिजिटिजटी द्वारा प्रकाशित लाभभोगी व्यक्तिों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, वह एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।	
vi) किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders तथा e-voting user manual for Shareholders का संदर्भ ले सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या तीसरी सजिल, नमन चौर, प्लॉट सी-32, जो-नवीक, बॉम्बा कूल कॉम्प्लेक्स, बॉम्बा पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र - 400 051 पते पर www.evoting.nsdl.com को अनुरोध भेज सकते हैं।	
डिजिटिजटी यानी एमएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लाॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमेट मोड में प्रतिभूतिधार रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क है।	
लाॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एमएसडीएल के साथ डीमेट मोड में evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एमएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।	लाॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का समापन करने वाले सदस्य evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एमएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमेट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लाॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का समापन करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdsindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टीएल प्रो नंबर 1800-211-09911 पर संपर्क कर सकते हैं।

संवीक्षक	
मैसर्स नीता ए एंड एसोसिएट्स (प्रोपराइटर - सुश्री नीता अग्रवाल, सदस्यता संख्या: F98993, सीओपी: 13218), प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, एजीएम और ई-वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।	
संवीक्षक को रिपोर्ट के साथ घोषित परिणामों को कंपनी की वार्षिक आम बैठक में प्रस्तावों को पारित करने के दो (2) कार्य दिवसों के भीतर कंपनी की वेबसाइट www.thrivefuturehabitats.com और एमएसडीएल की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और बीएसई लिमिटेड को सूचित किया जाएगा।	
ड्राइव फ्यूचर हैबिटेट लिमिटेड के लिए (पूर्व की एडोर मल्टीप्रॉपर्टीइन्व्स्टमेंट लिमिटेड)	हस्ता./-
दिनांक: अगस्त 24, 2026	शोभा जोशी
स्थान: दिल्ली	कंपनी सचिव
तीसरी मंजिल, चाई12-चाई91, एल्डेको सेंटर, मालवीय नगर डीएमआरसी मेट्रो स्टेशन, मालवीय नगर, नई दिल्ली 110017	
दूरभाष: +91 74228807663 ईमेल आईडी - hello@thrivefuturehabitats.com	

 	
पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड	
सीआईएन : L74899DL1995PLC073281 पंजीकृत कार्यालय: 54, ओबेला ओडोगिक एस्टेट, फेस-III, नई दिल्ली-110020 फोन : +91-911-65260001 वेबसाइट : www.ppapco.in , ई-मेल चाईडी : investorservice@ppapco.com	
कंपनी के शेयरधारकों को नोटिस	
विषय: निवेशक शिक्षण और बचाव कोष ("आईईपीएफ") में इक्विटी शेयरों का अनिवार्य अंतरण	
एतद्वारा निवेशक शिक्षण और बचाव कोष प्राधिकरण (लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और रिफंड) नियमावली, 2016 ("नियमावली") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्राक्धान अनुसार में सूचित किया जाता है कि लगातार सात या अधिक वर्षों के लिए अनुभूत या अदायित लाभांश वाले सभी शेयर कंपनी को आईईपीएफ के नाम में अंतरित करने हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए शेयर और दावा न किए गए अंतिम लाभांश को आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जाना है। विस्तृत जानकारी कंपनी की वेबसाइट https://www.ppapco.in/financials#unpaid_and_unclaimed_dividend पर उपलब्ध है। कंपनी उन सभी शेयरधारकों को व्यक्तिगत नोटिस भेज रही है, जिनके शेयर अदायित लाभांश आईईपीएफ में अंतरित किए जाने के लिए संभाव्य हैं। अनुभूत लाभांश का दावा रजिस्ट्रार और शेयर ट्रॉंसफर एजेंट, मैसर्स एमएफएजी डी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हार्डट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच 2, सी-1 ब्लॉक एलएससी, निक्ट सॉलिट्री मार्ग, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, फोन नं.: 011-41410592, ई-मेल: help.shares@in.mfpm.smlf.com को पत्र भेजकर 7 अक्टूबर, 2026 या इससे पूर्व प्राप्त किया जा सकता है। नियमों के अनुसार एक आईईपीएफ में अंतरित शेयरों और अदायित लाभांश के संबंध में कंपनी के विवरणों को सूचित कोई दावा नहीं करेगा। हालांकि, संबंधित शेयरधारक प्रक्रिया का अनुपालन कर और नियमावली के तहत यथानिर्धारित दस्तावेजों को जमा कर आईईपीएफ में अंतरित शेयर और अदायित लाभांश की वापसी का दावा कर सकते हैं।	
स्थान : दिल्ली दिनांक : 24 अगस्त, 2026	हस्ता./- पंखुरी अग्रवाल कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

 	
टीएआरसी लिमिटेड	
कारपोरेट पध्दान संख्या : L70100DL2016PLC390526 पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय मंजिल, सी-3, कुतुब इन्स्ट्रुक्शनल एरिया, कटवारिया सारंग, नई दिल्ली-110016 दूरभाष: 011-41244300, ई-मेल: tarc@tarc.in ,वेबसाइट: www.tarc.in	
विधियों का नॉटिस/अन्य आडियो विडियो मध्यम द्वारा आयोजित होने वाली 10 (दसवीं) वार्षिक साधारण बैठक के सम्बन्ध में जानकारी	
एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि टीएआरसी लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 10 (दसवीं) वार्षिक साधारण बैठक ("एजीएम अथवा बैठक") शनिवार, सितम्बर 19, 2026 को प्रातः 11:00 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य आडियो विडियो मध्यम ("ओएवीएम") की सुविधा द्वारा एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों के निष्पादन हेतु आयोजित की जायेगी, जिसे कम्पनी की एजीएम के आयोजन हेतु प्रसारित किया जायेगा। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा अपने साधारण परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक सितम्बर 22, 2025 सहपठित इस सम्बन्ध में एमसीए द्वारा जारी पिछले परिपत्रों ("एमसीए परिपत्रों ") एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों ("सेबी परिपत्रों") के माध्यम से सदस्यों के एक स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना, सभी अथवा ओएवीएम के माध्यम से वर्चुअल एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी गई है। कम्पनीज अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता वाध्दतारों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियमन), एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी की 10 (दसवीं) एजीएम वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित की जा रही है। एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्रों के अनुसार एजीएम की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट (वित्तीय विवरण, बोर्ड रिपोर्ट, लेखापरीक्षाक रिपोर्ट एवं इसके साथ संलग्न किये जाने वाले अन्य दस्तावेजों सहित) उन सभी सदस्यों/लाभदाई स्वामी को, जिनके नाम कम्पनी के सदस्यों के रजिस्ट्रर/लाभार्थियों की सूची में शुक्रवार, अगस्त 14, 2026 को अंकित हैं एवं जिनके ई-मेल पते पंजीकृत /डिजिटिजटी मागीदारा/रजिस्ट्रर के पास पंजीकृत हैं, को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भेज दी जायेगी। जिन सदस्यों के ईमेल पते पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें एक भौतिक पत्र भेजा जायेगा, जिसमें वेब लिंक, सटीक पथ सहित दिया गया होगा, जहाँ वार्षिक रिपोर्ट का पूर्ण विवरण उपलब्ध होगा। एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.tarc.in एवं स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों I.e बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रमशः www.bseindia.com, www.nseindia.com एवं एमएसडीएल (ई-वोटिंग सूचना प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट I.e www.evoting.nsdl.com पर सभी उचित समय पर उपलब्ध कराई जायेगी। हालांकि, कम्पनी के सदस्य यदि चाहें तो अपने फोनियो नं./डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए cs@tarc.in पर अनुरोध भेजकर कम्पनी से सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिकी अपना वोट देने का एक अवसर मिलेगा। रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम में ई-वोटिंग एवं एजीएम में वीसी/ओएवीएम द्वारा शामिल होने के निर्देश, भौतिक और डिमेंटीरीलाइउड माध्यम में शेयर धारित करने वाले सदस्यों के लिए विस्तारित निर्देश एजीएम की सूचना में प्रदान किये जायेंगे।	
जिन सदस्यों ने अब तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं उनसे अनुरोध है कि वे निम्नानुसार अपने ई-मेल पते पंजीकृत करा लें:	
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते सम्बन्धित डिजिटिजटी भागीदारों के माध्यम से अपने डिजिटिजटी के साथ अपडेट एवं/अथवा पंजीकृत करा लें। - भौतिक माध्यम में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते कम्पनी के रजिस्ट्रर एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट WIZ, रक़ाईइल फाईनेशियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के पास फार्म आईएसआर-1 और साथ में अन्य अपेक्षित कागजात प्रस्तुत करके कम्पनी के पास अपडेट एवं/अथवा पंजीकृत करा लें। फार्म आईएसआर-1 का प्रारूप कम्पनी की वेबसाइट www.tarc.in पर उपलब्ध है।	
किसी भी प्रश्न/कठिनाई के लिए सदस्य admin@skylinertea.com अथवा cs@tarc.in पर लिख सकते हैं।	
कृते टीएआरसी लिमिटेड अमित नारायण कंपनी सचिव (एसीएफ 20094)	
तिथि : अगस्त 22, 2026 स्थान : नई दिल्ली	